रेड लाईट एवम् ब्लींकर की स्थापना एवम् संचालन के लिए पी0पी0पी0 (Private Public Partnership) मोड में पार्टनर के चयन हेतु निविदा की शर्ते

1. नगर निगम हरिद्वार सीमान्तर्गत 09 स्थानों पर रेड लाईट एवम् ब्लींकर की स्थापना एवम् संचालन के लिए पी0पी0पी0 मोड में विज्ञापन एजेन्सी का पार्टनर के रूप में चयन किया जाना है जिस हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति के अन्तर्गत ऐसी फर्म/व्यक्ति/संस्था से दिनांक 24.11.2021 को सायं 05 बजे तक निर्धारित प्रपत्रों में निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. नगर निगम हरिद्वार सीमान्तर्गत 09 रेड लाईट ब्लिंकर की स्थापना व संचालन हेतु फर्म को 09 विज्ञापनपट्ट एवं रेड लाइट/ट्रैफिक सिग्नल पर विज्ञापन पट्ट एवं सम्बन्धित सिग्नल के बैटरी बॉक्स पर विज्ञापन लगाये जायेगे जिन पर विज्ञापन पट्ट करने का अधिकार नगर निगम हरिद्वार द्वारा दिया जाएगा। विज्ञापन पट्ट हेतु स्थल नगर निगम हरिद्वार द्वारा चिन्हित कर दिया जाएगा।
3. कार्य की अवधि स्वीकृति की तिथि से 05 वर्ष तक के लिये मान्य होगी जिसे नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार के अनुमोदन उपरान्त 05 वर्ष के लिए बढाया जा सकता है जिसकी अधिकतम कुल अवधि 15 वर्ष तक हो सकती है ।
4. नगर निगम हरिद्वार द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम आरक्षित धनराशि रु0 50,000.00 प्रतिवर्ष निर्धारित है जो प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष आरम्भ होने के प्रथम सप्ताह में जमा करानी अनिवार्य होगी। आरक्षित धनराशि पर प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
5. निविदादाता/फर्म को रेड लाईट अथवा सिग्नल सम्बन्धी कार्य का कम से कम 03 वर्षो का अनुभव हो।
6. निविदादाता/फर्म के पास ISO9001/ISO27001 का प्रमाणपत्र हो। संलग्न
7. निविदादाता/फर्म का पिछले 03 वर्षो का औसत वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड रु0 प्रतिवर्ष हो।
8. निविदादाता को निविदा फर्म का रजिस्ट्रैशन नं0 व 03 वर्षो की बैलेंस शीट (2018–19, 2019–20 व 2020–21) अधिकृत सी0ए0 द्वारा प्रमाणित, 10 रु0 के स्टाम्प पेपर पर किसी भी सरकारी संस्था में ब्लैक लिस्ट न होने का प्रमाण पत्र व निविदा अभिलेख स्वयं के हस्ताक्षर किये हुये संलग्न करना अनिवार्य होगा करना अनिवार्य है।
9. निविदादाता की फर्म/संस्था GST के अन्तर्गत पंजिकृत हो जिसका पंजिकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
10. निविदादाता की फर्म/संस्था किसी भी निकाय में बकाएदार न होने के सम्बन्धी 10 रु0 के स्टाम्प पेपर पर किसी भी सरकारी संस्था में ब्लैक लिस्ट न होने का प्रमाण पत्र स्वयं के हस्ताक्षर किये हुये संलग्न करना अनिवार्य होगा करना अनिवार्य है।
11. निविदादाता को अपनी वित्तीय निविदा पृथक से बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।
12. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओ की वित्तीय निविदा गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी।
13. सफल निविदादाता को 100 रु0 के अथवा निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध गठित करना अनिवार्य होगा।
14. यातायात एवं जनसुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा जिला प्रशासन द्वारा अतिकमण हटाये जाने पर एजेन्सी को कोई क्षति होती है तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
15. भविष्य में यदि कोई रेड लाइट एवम् ब्लींकर स्थल समाप्त किया जाता है तो नया स्थल परिवर्तन कर सफल निविदादाता को दिया जाएगा।
16. धरोहर/जमा धनराशि नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार अथवा लेखाधिकारी नगर निगम हरिद्वार के नाम प्लेज करनी अनिवार्य होगी।
17. निविदादाता द्वारा अपने रेट स्पष्ट रूप से शब्दो एवं अंको में लिखे जायेंगे व कटिंग होने की दशा में अपने हस्ताक्षर करने अनिवार्य होगें।

18. ट्रैफिक लाईटो को पूर्णतः स्थापित करना, रख–रखाव व मरम्मत आदि का कार्य निविदादाता को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
19. ट्रैफिक लाईट के रख–रखाव हेतु फर्म को अपने स्तर से इलैक्ट्रिकल इंजीनियर की तैनाती करनी अनिवार्य होगी।
20. किसी भी चौक का ट्रैफिक सिग्नल खराब होने की दशा में यातायात पुलिस द्वारा फर्म को सूचना दिये जाने के उपरान्त 3 घण्टे के अन्दर उक्त सिग्नल को ठीक करना अनिवार्य होगा।
21. प्रत्येक सिग्नल सुचारू रूप से कन्ट्रोर पैनल, सोलर बैकअप, काउन्टडाउन टाईमर तथा बैटरी की निरन्तर जॉच करनी होगी।
22. प्रत्येक वर्ष ट्रैफिक सिग्नल के पोल पर रंगाई पुताई स्वयं के व्यय पर करनी होगी तथा पोल जंग रहित व मजबूत होने चाहिये।
23. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओ पर विचार नहीं किया जायेगा।
24. निविदा डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक भेजी जा सकती है।
25. निविदा के साथ रु0 1,00,000.00 (एक लाख रुपए मात्र) की धनराशि सी0डी0आर0 / एफ0डी0आर0 संलग्न करनी अनिवार्य है।
26. निविदा में भाग लेने के इच्छुक फर्म / व्यक्ति कार्यालय जिलाधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी से निर्गत नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, 1,00,00,000 (एक करोड़ रुपए मात्र) का हैसियत प्रमाण पत्र निविदा के अनुसार आधार कार्ड व पैन कार्ड ई0एस0आई0 / ई0पी0एफ0 निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा उक्त कार्य के लिए निविदा प्रतिपूर्ति कार्य शपथ देना होगा। इच्छुक फर्म / व्यक्ति आमन्त्रण तिथि से एक दिवस पूर्व समय 2:00 बजे तक रु0 1000.00(एक हजार रुपए मात्र) जी0एस0टी0 अतिरिक्त का शुल्क अदा कर निविदा प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। (शपथ पत्र :– यदि मैं सर्वोच्च निविदादाता पाया जाता हूं और मैं कार्य करने से मना करता हूं तो ऐसी स्थिति में नगर निगम, हरिद्वार मुझे नगर निगम, हरिद्वार में होने वाली सभी निविदाओं में भाग लेने से कार्यादेश जारी होने की तिथि से आगामी एक वर्ष के लिए निलम्बित कर सकती है, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी)।
27. ट्रैफिक सिग्नल पर विज्ञापन हेतु 8X4 वर्गफिट एवं सम्बन्धित सिग्नल के बैटरी बॉक्स पर 15X4 फिट साईज के ही विज्ञापन लगाये जायेगे। जिसमें यह आवश्यक होगा की विज्ञापन डिजिटल प्रकृति के न हो ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो पाये।
28. ट्रैफिक सिग्नल चिन्हित क्षेत्र / लम्बाई में ही लगाये जायेंगे। स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थलो पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगाये जायेंगे।
29. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादो जैसे शराब, तम्बाकू सिगरेट आदि के विज्ञापन एव अशलील विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे। यदि फर्म द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है तो रु0 25,000.00 क्योस्क की दर से प्रति क्योस्क अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
30. ट्रैफिक सिग्नल पर बिजली कनेक्शन की व्यवस्था एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर ही की जायेगी। निविदादाता द्वारा ट्रैफिक सिग्नल पर अलग से अपना विधुत मीटर लगाना होगा व विधुत बिलो का भुगतान भी स्वयं के व्यय पर करना होगा।
31. भविष्य में यातायात एवं सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से कोई विज्ञापन हटाने की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा 24 घण्टे के अन्दर हटाना होगा।
32. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार का निर्णय अन्तिम होगा।
33. निविदा स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार में निहित होगा।
34. किसी भी व्यायिक वाद के लिये क्षेत्राधिकार जिला हरिद्वार के जिला न्यायालय / न्यायालयों में होगा।

35. निविदादाता द्वारा ट्रैफिक सिग्नल सम्बधी कार्य सुचारू रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही धरोहर की धनराशि वापस की जायेगी।

36. सम्बन्धित फर्म को समय–समय पर जारी नगर निगम/जिला प्रशासन के आदेशों का अनुपालन करना होगा।

37. ट्रैफिक सिग्नल सडक से 90 डिग्री के कोण पर होंगे तथा यातायात के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई देगें।

38. ट्रैफिक सिग्नल पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत लिखा जाना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित फर्म द्वारा केवल ट्रैफिक सिग्नल पर ही विज्ञापन प्रदर्शित किया जायेगा। अन्य माध्यमों से विज्ञापन प्रचार–प्रसार हेतु नगर निगम द्वारा पृथक से कार्यवाही की जायेगी।

39. उपरोक्त ट्रैफिक सिग्नल पर कार्य करने हेतु लगे व्यक्तियो, श्रमिको अथवा कार्मियो का नियमानुसार ई0पी0एफ0, सेवाकर बीमा तथा सुरक्षा उपकरणो आदि की व्यवस्था भी फर्म को स्वयं करनी होगी।

40. कोई भी निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिन्डीकेंट या कार्टेल या पूर्व से रजिस्र्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रकिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, यदि ऐसा कोई तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना किसी नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।

41. उपरोक्त में किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर के रूप में जमा सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।

42. निविदा डबल बिड रूप में आमंत्रित की जाती है।

43. तकनीकी बिड के लिफाफे पर "रेड लाईट एवम् ब्लींकर की स्थापना एवम् संचालन के लिए (पी0पी0पी0) मोड में पार्टनर के चयन हेतु तकनीकी निविदा" एवं वित्तीय निविदा के लिफाफे पर " रेड लाईट एवम् ब्लींकर की स्थापना एवम् संचालन के लिए (पी0पी0पी0) मोड में पार्टनर के चयन हेतु वित्तीय निविदा" लिखा होना अनिवार्य है, जो नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार, पोस्ट ऑफिस, मायापुर, हरिद्वार पिनकोड नं0–249401 उत्तराखण्ड के नाम हो दिनांक 24.11.2021 तक सांय 05 बजे तक नगर निगम कार्यालय में जमा की जायेगी।

44. निर्धारित/अनुमानित धनराशि से न्यूनतम दरें स्वीकार नहीं की जायेगी।

45. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

46. **तकनीकी निविदा–**

47. तकनीकी निविदा में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

(1) कम्पनी/फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि। (यदि कोई है)।

(2) पैनकार्ड की प्रतिलिपि।

(3) सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के देशभर में ब्लैक लिस्टेड व उत्तराखण्ड के किसी नगर निकाय में बकायदार न होने का प्रमाण पत्र रू0 10/– स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।

(4) ई0एम0डी हेतु निर्धारित रु0 1,00,000.00 (एक लाख रूपए मात्र) की धनराशि सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जो कि लेखाधिकारी, नगर निगम हरिद्वार के नाम बन्धक हो।

(5) निविदादाता/फर्म की 03 वर्षो की बैलेंस शीट (2018–19, 2019–20 व 2020–21) अधिकृत सी0ए0 द्वारा प्रमाणित।

(6) कार्यालय जिलाधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र निविदा के अनुसार की स्कैन्ड कॉपी जमा की जायेगी।

(7) निविदादाता/फर्म को रेड लाईट अथवा सिग्नल सम्बन्धी कार्य का कम से कम 03 वर्षो का अनुभव।

(8) निविदादाता/फर्म के पास ISO9001/ISO27001 का प्रमाणपत्र हो।

(9) निविदादाता/फर्म का पिछले 03 वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रु0 प्रतिवर्ष।

तकनीकी बिड डॉक्यूमेंट्स के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की मोहर के साथ हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

48. <u>वित्तीय निविदा</u>

(1) वित्तीय निविदा प्रपत्र में दरें शब्दों एवं अंकों में अंकित की जानी है। यदि शब्दों एवं अंकों में अन्तर पाया जाता है तो शब्दों में लिखित दरें या जो अधिक हो मान्य होगी।

49. निविदा से सम्बन्धित किसी प्रकार का वाद-विवाद उत्पन्न होने पर नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा तथा न्यायिक मामलों में न्यायिक क्षेत्र हरिद्वार ही होगा।

(दयानन्द सरस्वती)
नगर आयुक्त,
नगर निगम, हरिद्वार।

कार्यालय नगर निगम हरिद्वार

निविदा शुल्क – रु0 1000.00(एक हजार रुपए मात्र) जी0एस0टी0 अतिरिक्त

रेड लाईट एवम् ब्लींकर की स्थापना एवम् संचालन के लिए (पी0पी0पी0) मोड में पार्टनर के चयन हेतु वित्तीय निविदा

1. निविदादाता / फर्म का नाम:– ....
2. निविदादाता / फर्म का पता:– ....

....

....

....

3. निविदादाता की विज्ञापन एजेन्सी का नाम:– ....

....

4. जमानत / धरोहर राशि :– रु0 ....(शब्दों में)....................

....

5. एफ0डी0आर0 / सी0डी0आर0 नं0 :– ....

6. बैंक का नाम :– ....
7. ट्रैफिक सिग्नल हेतु चिन्हित स्थल :– 1.भूपतवाला (ब्लिंकर लाईट) 2.दुधाधारी चौक (ब्लिंकर लाईट) 3. पुराना आर0टी0ओ0 चौक (ब्लिंकर लाईट) 4. शंकराचार्य चौक (रेड लाईट) 5.सिंहद्वार (रेड लाईट) 6.सीतापुर बाईपास चौक (रेड लाईट) 7.वाल्मीकि चौक (रेड लाईट) 8.आर्यनगर चौक (रेड लाईट) 9.जटवाडा पुल से ऊचा पुल की तरफ जाने वाले रास्ते पर (ब्लिंकर लाईट)।
8. कुल सिग्नलो की संख्या :– 9

निविदादाता के हस्ताक्षर :– ....

निविदादाता का नाम :– ....

निविदादाता का पूरा पता:– ....

रेड लाईट एवम् ब्लींकर की स्थापना एवम् संचालन के लिए (पी0पी0पी0) मोड में पार्टनर के चयन हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. निविदादाता /फर्म का नामः– ....
2. कम्पनी/फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि।
3. पैनकार्ड की प्रतिलिपि।
4. सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के देशभर में ब्लैक लिस्टेड व उत्तराखण्ड के किसी नगर निकाय में बकायदार न होने का प्रमाण पत्र रू0 10/– स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।
5. ई0एम0डी हेतु निर्धारित रु0 1,00,000.00 (एक लाख रुपए मात्र) की धनराशि सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जो कि लेखाधिकारी, नगर निगम हरिद्वार के नाम बन्धक हो।
6. निविदादाता/फर्म की 03 वर्षो की बैलेंस शीट (2018–19, 2019–20 व 2020–21) अधिकृत सी0ए0 द्वारा प्रमाणित।
7. कार्यालय जिलाधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र निविदा के अनुसार की स्कैन्ड कॉपी जमा की जायेगी।
8. निविदादाता/फर्म को रेड लाईट अथवा सिग्नल सम्बन्धी कार्य का कम से कम 03 वर्षो का अनुभव।
9. निविदादाता/फर्म के पास ISO9001/ISO27001 का प्रमाणपत्र हो।
10. निविदादाता/फर्म का पिछले 03 वर्षो का औसत वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रु0 प्रतिवर्ष।

निविदादाता के हस्ताक्षर :– ....

निविदादाता का नाम :– ....

निविदादाता का पूरा पताः– ....